भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 675
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि फसलों के उप-उत्पादों पर आधारित उद्योग

675. श्री वीरेन्द्र सिंहः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास कृषि फसलों से उत्पन्न उप-उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए कोई योजना है;
(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार कृषि-प्रधान क्षेत्र होने के कारण उत्तर प्रदेश के चंदौली ज़िले में एक सहकारी चीनी मिल स्थापित करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इसके लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है; और
(ग) क्या ऐसे कृषि उप-उत्पादों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु किसी प्रकार की छूट अथवा राज सहायता प्रदान करने की कोई योजना सरकार के पास है और यदि हाँ, तो इस तरह की सहायता का प्रतिशत कितना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : सरकार ने कृषि फसलों से उत्पन्न उप-उत्पादों का उपयोग करने के लिए उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। धान के भूसे के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु पेलेटाइजेशन और टॉरफेक्शन प्लांट्स स्थापित करने के लिए सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) निधि के अंतर्गत एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पेलेटाइजेशन प्लांट्स के लिए प्रति घंटे प्रति टन उत्पादन क्षमता पर ₹14 लाख की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति प्रस्ताव ₹1.4 करोड़ है। टॉरफेक्शन प्लांट्स के लिए प्रति घंटे प्रति टन उत्पादन क्षमता पर ₹28 लाख की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसकी कुल वित्तीय सहायता भी प्रति प्रस्ताव ₹1.4 करोड़ तक सीमित है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय बायोमास कार्यक्रम योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसके अंतर्गत ब्रिकेट और पेलेट विनिर्माण प्लांट के साथ-साथ बायोमास आधारित ऊर्जा उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ब्रिकेट और पेलेट विनिर्माण प्लांट के लिए, प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा (एमटीपीएच) प्लांट क्षमता पर ₹9 लाख की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उपलब्ध है, जो प्रति प्लांट अधिकतम ₹45 लाख तक सीमित है। नॉन-टॉरिफाइड पेलेट विनिर्माण प्लांट के लिए, सीएफए 21 लाख रुपये प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता या 1 मीट्रिक टन प्रति घंटा प्लांट के लिए प्लांट और मशीनरी की पात्र पूंजी लागत का 30%, जो भी कम हो, के रूप में प्रदान किया जाता है, जिसमें प्रति परियोजना अधिकतम 105 लाख रुपये की सहायता दी जाती है। टॉरिफाइड पेलेट विनिर्माण प्लांट्स के लिए, सीएफए ₹42 लाख प्रति मीट्रिक टन प्रति घंटा उत्पादन क्षमता या 1 मीट्रिक टन प्रति घंटा प्लांट के लिए प्लांट और मशीनरी की पात्र पूंजी लागत का 30%, जो भी कम हो, निर्धारित है, और प्रति परियोजना अधिकतम ₹210 लाख तक सीमित है। बायोमास कार्यक्रम के तहत, बायोमास-आधारित (गैर-बैगास) सह-उत्पादन प्लांट्स को ₹40 लाख प्रति मेगावाट के सीएफए के साथ सहायता दी जाती है, जो प्रति प्लांट अधिकतम ₹5 करोड़ तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, अपशिष्ट ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत, कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) प्लांट्स की स्थापना को 12,000 घन मीटर बायोगैस से प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्रत्येक 4,800 किलोग्राम सीबीजी के लिए 4 करोड़ रुपये के सीएफए के साथ सहायता दी जाती है, बशर्ते कि नई परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये का आवंटन हो।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कम्प्रैस्ड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादकों को बायोमास एकत्रीकरण उपकरण और मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान हेतु एक योजना अर्थात किफायती परिवहन की दिशा में सतत विकल्प (सतत) की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उपकरण की लागत का 50% या 90 लाख रुपए, जो भी कम हो, तक की सहायता उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जी-वन योजना के तहत, लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करने वाली बायोएथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है; वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए, परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि प्रदान की जाती है, जो परियोजना लागत के अधिकतम 20% या बायोरिफाइनरी की वार्षिक नेमप्लेट क्षमता में जोड़े गए प्रत्येक 10 लाख लीटर के लिए ₹5 करोड़, जो भी कम हो, के अधीन है और प्रति परियोजना कुल वित्तीय सहायता ₹150 करोड़ तक सीमित है।

इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इसे सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित-प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित करता है। पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के साथ-साथ पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण **संलग्न** है।

(ख) एवं (ग): केंद्र सरकार देश के किसी भी हिस्से में चीनी मिलों की स्थापना नहीं करती है। इसके अलावा, दिनांक 31.08.1998 के प्रेस नोट के अनुसार, चीनी उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले उद्योगों की सूची से हटा दिया गया था। इसके बाद, उद्यमी गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 6क से 6ङ में निर्धारित, समय-समय पर यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में चीनी मिल की स्थापना करने के लिए स्वतंत्र है।

हालांकि, सरकार ने पेट्रोल के साथ मिश्रित इथेनॉल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत अधिदेशित मिश्रण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक देश में गन्ना, इसके उप-उत्पाद जैसे कि बी-हैवी मोलासेस और सी-हैवी मोलासेस तथा अनाज वाले फीडस्टॉक आधारित नए इथेनॉल प्लांट स्थापित करने/मौजूदा इथेनॉल प्लांट्स की क्षमता विस्तार के लिए चीनी मिलों/डिस्टिलरियों के लिए विभिन्न इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाओं को अधिसूचित किया है।

इसके अलावा, सरकार ने दिनांक 06.03.2025 को सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम) के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, जिसके अंतर्गत गन्ने पर आधारित उनके मौजूदा इथेनॉल प्लांट्स को, इसके उप-उत्पादों जैसे बी-हैवी मोलासेस और सी-हैवी मोलासेस का उपयोग करके, मक्का और क्षतिग्रस्त खाद्य अनाज (डीएफजी) जैसे अनाजों का उपयोग करने वाले मल्टी-फीड आधारित 1जी इथेनॉल प्लांट्स में परिवर्तित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

क्रम सं.	**घटक योजना**	**सामान्य क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए योजना संबंधी लाभ (सहायता अनुदान)**	**दुर्गम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के लिए योजना संबंधी लाभ (सहायता अनुदान)**
1.	समेकित कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना	पात्र परियोजना लागत का 35% अनुदान सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अंतर्गत]	पात्र परियोजना लागत का 50% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
2.	खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माणविस्ता/र	पात्र परियोजना लागत का 35% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये के अंतर्गत]	पात्र परियोजना लागत का 50% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
3.	एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टरों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर	सामान्य क्षेत्र में पात्र परियोजना लागत का 35% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अंतर्गत]	पात्र परियोजना लागत का 50% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक]
4.	ऑपरेशन ग्रीन्स	समेकित वैल्यू चेन विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत की 35% सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा, अधिकतम सहायता अनुदान प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी; और स्वतंत्र फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अधिकतम सहायता अनुदान प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।	समेकित वैल्यू चेन विकास परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 50% सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा, अधिकतम अनुदान सहायता प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये होगी; और स्वतंत्र फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए अधिकतम सहायता अनुदान प्रति परियोजना 10 करोड़ रुपये होगी।
5.	खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन - खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र परियोजना लागत का 50% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक]	निजी संगठनों/संस्थाओं के लिए: पात्र परियोजना लागत का 70% सहायता अनुदान [प्रति परियोजना अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक]
6.	मानव संसाधन एवं संस्था - अनुसंधान एवं विकास	सरकारी संगठनों के लिए उपकरण लागत और उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 50% अनुदान।	सरकारी संगठनों के लिए उपकरण लागत और उपभोग्य सामग्रियों का 100% अनुदान, निजी संगठनों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए उपकरण लागत का 70% अनुदान।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएस-एफपीआई) के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन

श्रेणी/खंड	खंड	प्रोत्साहन वितरण मानदंड (5)		ऊपरी सीमा (% और धनराशि करोड़ में)	प्रोत्साहन की दर (%)					
		न्यूनतम सीएजीआर	अधिकतम सीएजीआर		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27
श्रेणी 1										
आरटीई/आरटीसी	बिस्कुट	10%	13%	8% रुपए 334.48	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	नॉन-बिस्कुट				7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	6.75%	6%
एफ एंड वी	मसाले	10%	12%	8% रुपए 286.56	5%	5%	5%	5%	4.5%	4%
	गैर-मसाले		15%		10%	10%	10%	10%	9%	8%
समुद्री उत्पाद	समुद्री उत्पाद	5%	10%	8% रुपए 79.44	6%	6%	6%	6%	5%	4%
	मूल्यवर्धित उत्पाद				10%	10%	10%	10%	10%	10%
मोज़रेला चीज़		15%	16%	25% रुपए 70.75	10%	10%	10%	8%	6%	4%
मिलेट उत्पाद	बड़े उद्यम	10%	-	रुपए 100	-	10%	10%	10%	9%	8%
	एमएसएमई	10%	-	रुपए 10.54						
श्रेणी 2	जैविक उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
	नवीन उत्पाद	10%	-		10%	10%	10%	10%	9%	8%
श्रेणी 3	ब्रांडिंग और मार्केटिंग (बीएंडएम)	इसमें केवल उन्हीं भारतीय ब्रांडों को शामिल किया गया है जो पूर्ण रूप से भारत में निर्मित खाद्य उत्पाद बेचे जाते हैं।		कुल व्यय का 50%	-	विदेशों में खाद्य एवं खुदरा बिक्री पर किए गए व्यय के 50% की दर से वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो खाद्य उत्पादों की बिक्री के अधिकतम 3% या प्रति वर्ष 50 करोड़ रुपये जो भी कम हो, के अध्यधीन होगा।				

<u>पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को उपलब्ध सहायता का विवरण</u>

(i) **निजी/समूह श्रेणी माइक्रो उद्यमों को सहायता:** पात्र परियोजना लागत का 35% तक ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी, प्रति यूनिट अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये।

(ii) **सीड कैपिटल के लिए स्वयं सहायता समूहों को सहायता:** प्रति सदस्य 40,000 रुपये की सीड कैपिटल, जो प्रति स्वयं सहायता समूह संघ अधिकतम 4 लाख रुपये तक है।

(ii) **सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर सहायता:** एफपीओएस, स्वयं सहायता समूह (एसएचजीएस), सहकारी समितियों और किसी भी सरकारी एजेंसी को सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करने के लिए 35% की दर से ऋण-आधारित पूंजी सब्सिडी, अधिकतम 3 करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी। इस सामान्य इन्फ्रास्ट्रक्चर का पर्याप्त हिस्सा अन्य यूनिटों और आम जनता द्वारा किराये पर उपयोग के लिए भी उपलब्ध होगा।

(iv) **ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता:** एफपीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों के समूहों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के एसपीवी को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक का अनुदान।

(v) **क्षमता निर्माण:** इस योजना में उद्यमिता विकास कौशल प्रशिक्षण (ईडीपी+) की परिकल्पना की गई है: इस कार्यक्रम को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और उत्पाद विशिष्ट कौशल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए संशोधित किया गया है।
